



Date: 24th December, 2024

AX1/ISD/STEX/142/2024-25

The General Manager Department of Corporate Services, BSE Ltd., P.J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001	The Vice President Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051
BSE Scrip Code: 532525	NSE Scrip Code: MAHABANK

Dear Sir/ Madam,

Sub: Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank.

Further to our letter no AX1/ISD/STEX/134/2024-25 dated 17th December, 2024 for Election of One Shareholder Director, we inform that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank has been scheduled as per following details:

1	Date/Time Friday, 24 th January, 2025 at 11.00 a.m. (IST) via Via Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)		
2	Agenda	To elect One Director amongst the Shareholders of the Bank pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970	
3	Specified Date	Bank has fixed Friday, 3rd January, 2025 as the Specified / Cutoff-Date for the purpose of ascertaining the Shareholders of Bank eligible to participate i.e. to Nominate, Contest and Vote in the election process of One Director of Bank of Maharashtra to be elected by the Shareholders other than the Central Government	
4	E-voting period	The remote e-voting period shall commence from 09:00 a.m. on Tuesday, 21st January, 2025 till 05:00 p.m. on Thursday, 23rd January, 2025	
5	Last date for submission of nominations	Thursday, 9 th January, 2025 on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m.	

We are further attaching notice of EGM for further details.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bank of Maharashtra

(Nehal Rawat)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

S SIUH SIGNATION

असाधारण सामान्य बैठक Extraordinary General Meeting

प्रधान कार्यालय: "लोकमंगल", 1501, शिवाजी नगर, पुणे – 411 005. **Head Office:** "Lokmangal",1501, Shivaji Nagar, Pune - 411 005.

टेली/Tel: 022-25511360 | ईमेल/Email: investor_services@mahaback.co.in

वेबसाइट/Website: www.bankofmaharashtra.in



अनुसूची / INDEX

1	नोटिस	01
2	टिप्पणियां	02
3	एजेंडा मद क्रमांक 1	11
4	Notice	29
5	Notes	30
6	Agenda Item No.1	37

असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) / Extra Ordinary General Meeting (EGM)

महत्वपूर्ण दिनांक एवं कार्यक्रम / Important Dates And Programme

कार्यक्रम / Events	दिनांक / Date	
एजेंडा / Agenda	बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव To elect One Director amongst the Shareholders of the Bank pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970	
निर्दिष्ट तिथि / Specified Date	शुक्रवार, 3 जनवरी, 2025/ Friday, 3 rd January, 2025	
ई-वोटिंग अवधि / E-voting period	मंगलवार, 21 जनवरी, 2025 को प्रातः 09:00 बजे से गुरुवार, 23 जनवरी, 2025 को सायं 05:00 बजे तक From 09:00 a.m. on Tuesday, 21 st January, 2025 till 05:00 p.m. on Thursday, 23 rd January, 2025	
नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि / Last date for submission of nominations	गुरूवार, 9 जनवरी, 2025/ Thursday, 9 th January, 2025	
दिनांक और समय / Date and Time	शुक्रवार, 24 जनवरी, 2025 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से Friday, 24 th January, 2025 at 11.00 a.m. (IST) via Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)	



एक परिवार एक बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय: "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पूणे – 411 005

नोटिस

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) शक्रवार, 24 जनवरी, 2025 को सबह 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा निम्नलिखित के लिए आयोजित की जाएगी:

विशेष व्यवसाय

मद क्रमांक. 1 शेयरधारक निदेशक का चनाव

केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से **एक** निदेशक का निर्वाचन करना जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) (इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके पश्चात "विनियमन अधिनियम" के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (इसके पश्चात "योजना" के रूप में संदर्भित) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम 2004 (इसके पश्चात "विनियम" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और अधिसूचनाएं क्र. दिनांक ०२ अगस्त, २०१९ की अधिसूचना क्र.डीबीआर. एपीपीटी. बीसी.क्र.९/२९.६७.००१/२०१९-२० और दिनांक 24.11.2016 की अधिसूचना क्र.डीबीआर. एपीपीटी. बीसी.क्र.39/29.39.001/2016-17 (इसके पश्चात "भारिबैं अधिसूचनाएं" के रूप में संदर्भित) और उसमें संशोधन, भारत सरकार के दिनांक 03 सितंबर 2013 के कार्यालय ज्ञापन क्र.एफ.क्र.16/83/2013-बीओ.आई तथा दिनांक 28.04.2015 के एफ क्र.16/51/2012-बीओ.आई (भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश) और 08.07.2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-अधिकारिक निदेशक के रूप में मीमांसा के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंडों (इसके पश्चात "भारत सरकार दिशानिर्देश"के रूप में संदर्भित) और उसमे आगे किए गए संशोधन, यदि कोई हों, के साथ पठित और निर्वाचन के पश्चात निम्नलिखित को **सामान्य संकल्प** के रूप में निर्धारित करना और पारित करना

"प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) और इसके अंतर्गत बनाई गई संगत योजना, विनियमावली और अधिसूचना तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से निर्वाचित एक निदेशक को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक / मान्य दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के लिए एतदद्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।"

चुनाव होने पर, उपरोक्त संकल्प को सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 25 (2ए) के प्रावधानों के अंतर्गत पारित माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 24 दिसम्बर 2024

स्थान: पुणे

(निधु सक्सेना) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

टिप्पणियां

- 1 बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां मद क्र. 1 में संलग्न हैं।
- 2 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 05 मई, 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 और 19 सितंबर, 2024 की परिपत्र संख्या 09/2024 सिहत मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से 30 सितंबर 2025 तक कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से ईजीएम आयोजित करने की अनुमित दी है। तदनुसार, वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ही बैंक की ईजीएम आयोजित की जाएगी। इसलिए, सदस्य केवल वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आगामी ईजीएम में सहभाग ले सकते हैं। बैंक के प्रधान कार्यालय को ईजीएम का स्थान माना जाएगा।

3 प्रॉक्सी की नियुक्ति :

एमसीए परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, अतः प्रॉक्सी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स व बैठकें) विनियम 2004 के विनियम 70 (vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा ईजीएम के लिए अनुपलब्ध रहेगी। अतः प्रॉक्सी की नियुक्ति और उपस्थिति पर्ची के लिए लिखत को यहां संलग्न नहीं किया जा रहा है।

4 प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक सहभाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उस बैठक के संकल्प की प्रमाणित मूल प्रति प्रस्तुत नहीं करता जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित हो जिसमें वह पारित किया गया हो तथा वह ई-मेल investor_services@mahabank.co.in पर शनिवार, 18.01.2025 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय अर्थात सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्रेषित की जानी चाहिए।

- 5 वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स व बैठकें) विनियम, 2004 के अंतर्गत कोरम की जांच हेतु सम्मिलित किया जाएगा।
- 6 उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी के परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022 के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि बैंक का ईजीएम नोटिस बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगा।

7 बैंक का ईजीएम नोटिस प्राप्त करने के लिए ई-मेल आईडी पंजीकृत करने की प्रक्रिया :

भौतिक शेयरधारकों के लिए: भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं बैंक के आरटीए के पास अपने बैंक खाते के ब्यौरों को अद्यतित कर और अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं जिसके लिए या तो वे समुचित रूप से भरे हुए आईएसआर – 1 फॉर्म की भौतिक प्रति एमसीएस शेयर ट्रांसफर लिमिटेड, 3बी3, तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव, खैरानी रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 072 पर भेज सकते हैं या helpdeskmum@mcsregistrars.com/mparase@mcsregistrars.com पर मेल भेज सकते हैं।

डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए: डीमटेरियलाज्ड मोड में शेयर धारित करने वाले और जिनके ई-मेल आईडी/ बैंक खाते के ब्यौरे पंजीकृत नहीं हैं ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से अपनी संबंधित डिपॉजिटरियों के पास अपने ई-मेल पते, मोबाइल क्रमांक और बैंक खाते के ब्यौरे पंजीकृत/ अद्यतित करें।

- 8 चूंकि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम का आयोजन किया जाएगा, अतः इस नोटिस में रूट मैप को संलग्न नहीं किया गया है।
- 9 वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में सहभाग लेने की सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। दूरस्थ ई-मतदान, वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में शामिल होने और ईजीएम में मतदान से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश एतदद्वारा अलग से दिए गए हैं।
- 10 सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व और उसके पश्चात् वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने की सुविधा पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें उन बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयर धारित करने वाले सदस्य), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि को शामिल नहीं किया जाएगा, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में सहभाग लेने की अनुमित है।
- 11 बैंक के जिन शेयरधारकों ने बैंक/ डिपॉजिटरी/ आरटीए के साथ अपने ई-मेल को पंजीकृत नहीं कराया है, वे investor_services@mahabank.co.in / mparase@mcsregistrars.com पर ई-मेल भेजकर ईजीएम नोटिस प्राप्त कर सकते हैं।

12 शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए निर्दिष्ट तिथि (एजेंडा मद क्रमांक 1):

केंद्र सरकार के अलावा, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के चुनाव में सहभाग लेने अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के उद्देश्य से, शुक्रवार, 03 जनवरी, 2025 को निर्दिष्ट दिनांक, जैसा कि नोटिस में उल्लिखित है, के रूप में तय किया गया है। इस प्रकार, शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में शेयरधारकों के मतदान अधिकार शुक्रवार, 03 जनवरी, 2025 को माने जाएंगे।

13 संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रदर्शित होता है, ईजीएम में वोट देने का हकदार होगा।

14 पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड :

सेबी के दिनांक 3 नवंबर, 2021 के परिपत्र क्रमांक SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 सेबी के परिपत्र क्रमांक SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/37 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अनिवार्य रूप से पैन, नामांकन विवरण प्रस्तुत करना होगा। दूसरे शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए अपने संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तदनुसार, यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए आरटीए को पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सेबी के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, भौतिक शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए फॉर्म में वैध पैन, ई-मेल पता, मोबाइल विवरण, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत बैंक/ आरटीए को प्रस्तुत करें:

क्र.	फॉर्म	उद्देश्य	
1	Form ISR-1	पैन, केवाईसी विवरण दर्ज/ अद्यतित करने के लिए	
2	Form ISR-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए	
3	Form ISR-3	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र	
4	Form SH-13	नामांकन फार्म	
5	Form SH-14	नामांकन को रद्द करना या परिवर्तन (यदि कोई हो)	

उक्त सभी फॉर्म आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13 और एसएच-14 तथा उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे जल्द से जल्द नीचे दिए गए पते पर बैंक के आरटीए को सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करें:

आरटीए का विवरण:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,

(यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

पता: 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव,

खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

दूरभाष 022 - फोन: 022-28516021-22

ई-मेल : helpdeskmum@mcsregistrars.com/ mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट: www.mcsregistrars.com

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखना

जिन शेयरधारकों के पास डी-मैट फॉर्म में शेयर हैं और जो अपना पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन अपडेट करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें।

15 बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के साथ संप्रेषण

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डी-मैट शेयरों के मामले में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से और भौतिक शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर अपने पंजीकृत पते या किसी अन्य विवरण में परिवर्तन के बारे में सूचित करें:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट)

पता: 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव,

खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

दूरभाष 022 - फोन: 022-28516021-22

ई-मेल : helpdeskmum@mcsregistrars.com/mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट : www.mcsregistrars.com

16 भौतिक शेयरों को डी-मैट स्वरूप में बदलना:

सेबी ने हाल ही में सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया है जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों को प्रतिभूतियों के अंतरण के अनुरोध को 01 अप्रैल, 2019 से स्वीकार करने से रोक दिया गया है। इसके अलावा संशोधन 2022 के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया है कि भौतिक या डीमटेरियलाइन्ड फॉर्म में रखी गई प्रतिभूतियों का ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन केवल डीमटेरियलाइन्ड फॉर्म में ही प्रभावी होगा। इस तिथि के बाद भी जो शेयरधारक भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, वे आगे अंतरण के लिए बैंक /इसके आरटीए के साथ शेयरों को दर्ज करने में सक्षम नहीं होंगे। शेयरधारक यदि किसी अंतरण को प्रभावी करना चाहते हैं तो उन्हें इनको अनिवार्य रूप से डी-मैट फॉर्म में परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी। केवल भौतिक रूप में प्रतिभूतियों के प्रसारण और अंतरण के अनुरोध, आरटीए द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।

पूर्वीक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, बैंक के शेयरधारकों, जिनके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भौतिक शेयर हैं, उनसे एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को डीमटेरियलाइज़ कर लें। शेयरधारक दो डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में से किसी एक में, किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जिरए, डी-मैट खाता खोल सकते हैं।

17 शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन के लाभ :

शेयर प्रमाणपत्र के गुम होने और कटने-फटने का कोई डर नहीं, प्रतिभूतियों को धारित करने का सरल और सहज प्रकार, प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण, प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु कम कागजी कार्रवाई, कम अंतरण लागत, लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा होता है।

18 अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश, यदि कुछ हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से सात वर्ष की अविध तक अप्रदत्त/ अदावाकृत रहती है तो यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि" (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसरण में 2014-15 से पूर्व के वित्तीय वर्षों के लिए शेष प्रदत्त/ अदावाकृत लाभांश की ऐसी सभी राशियां 'निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि' में अंतरित की गई है।

जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं है,उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त पते पर बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से या पुणे में बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क करें।

आईईपीएफ प्राधिकारी से अदावाकृत लाभांश राशि का दावा निर्दिष्ट फॉर्म आईईपीएफ-5 में आवेदन कर और समुचित रूप से हस्ताक्षिरत (बैंक के पास रिकॉर्ड किए गए नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) इसकी भौतिक प्रति आईईपीएफ-5 में निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक के प्रधान कार्यालय, पुणे को भेजकर किया जा सकता है। आईईपीएफ नियम तथा अदावाकृत लाभांश का वापस दावा करने के लिए निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा विनिर्दिष्ट आवेदन फॉर्म आईईपीएफ-5 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in और साथ ही एमसीए की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

19 मतदान अधिकार:

बैकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक से मतदान अधिकारों का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा।

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संदर्भ में रिजस्टर में पहले नाम वाले व्यक्ति को उसका एकल धारक माना जाएगा। यदि शेयर संयुक्तधारकों के नाम पर है तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को ही बैठक में सहभाग लेने का अधिकार होगा और बैठक में केवल वही कार्यसूची मदों पर रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

20 ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित जानकारी व अन्य अनुदेश निम्नानुसार हैं:

i. कार्यसूची मद क्र. 1 के लिए नियत दिनांक:

यथासंशोधित कंपनियां (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में कार्यसूची मद के संबंध में शेयरधारकों का मतदान अधिकार **शुक्रवार, 03 जनवरी, 2025** को माना जाएगा।

ii. रिमोट ई-वोटिंग:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने हेतु केंद्रीय प्रतिभूति सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ने मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। निर्दिष्ट दिनांक को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डीमटेरियलाईन्ड रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे। मंगलवार 21 जनवरी, 2025 को सुबह 9.00 बजे से गुरूवार, 23 जनवरी, 2025 को शाम 5.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा।

iii. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 09 दिसंबर, 2020 क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डी-मैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमित है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए वे अपने डी-मैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

सेबी के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, **डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए** ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने हेतु लॉग-इन का तरीका निम्नानुसार है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग इन पद्धति
सीडीएसएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	 जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईज़ी/ईज़ीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईज़ी/ईज़ीएस्ट पर लॉगइन करने वाले उपयोगकर्ता www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग-इन आइकन पर क्लिक करें और माय ईजी न्यू (टोकन) टैब का चयन करें। सफल लॉग-इन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अविध के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, तािक उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉग-इन पर तथा माय ईजी न्यू (टोकन) टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डी-मैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डी-मैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देखने में सक्षम होगा जहां वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा जहां वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग इन पद्धति
एनएसडीएल डिपॉज़िटरी के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	 यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://eservices.nsdl.coml एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग-इन" के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" विकल्प चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग-इन" आइकन पर क्लिक करें, जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डी-मैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अविध के दौरान या वर्चअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वाटिंग रेवा करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।
वैयक्तिक शेयरधारक (डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉग-इन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डी-मैट खाते के लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉग-इन कर सकते हैं। सफल लॉग-इन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अविध के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगॉट यूजर आईडी और फॉरगॉट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉग-इन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क ब्यौरे
सीडीएसएल के साथ डी-मैट मोड में	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य
प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक	helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क
शेयरधारक	कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डी-मैट मोड में	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in
प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक	पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-48867000 और
शेयरधारक	022-24997000 पर कॉल कर सकते हैं।

ई-वोटिंग और डी-मैट फॉर्म में वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉग-इन विधि।

- 1. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ पर लॉग ऑन करना होगा
- 2. शेयरहोल्डर मॉड्यूल पर क्लिक करें।
- 3. अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें
 - क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी
 - ख. एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी
 - ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।
- अगले चरण में प्रदर्शित किए अनुसार ईमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।
- 5. यदि आपने अपने शेयर डी-मैट रूप में धारित किए हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-इन किया है तथा पहले किसी भी कंपनी की वोटिंग में वोट किया है तो आपका विद्यमान पासवर्ड उपयोग किया जाना है।
- 6. यदि आप पहली बार यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:

	डी-मैट रूप और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा न्यूमैरिक* पैन प्रविष्ट करें (डी-मैट शेयरधारकों के साथ ही भौतिक शेयरधारकों दोनों पर लागू) • जिन शेयरधारकों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि कंपनी/आरटीए अनुक्रम क्रमांक (sequence number) का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (डीओबी)	लॉग-इन करने के लिए बैंक/आरटीए के अभिलेख में या आपके डी-मैट खाते में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (dd/mm/yyyy प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दोनों ही ब्यौरे दर्ज न किए गए हों तो कृपया लाभांश बैंक ब्यौरे फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।

- i. ये ब्यौरे समुचित रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "सबिमट" टैब पर क्लिक करें।
- ii. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे ही कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डी-मैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक अब "पासवर्ड क्रिएशन" मेनू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग-इन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डी-मैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के, जहां वे वोट करने हेतु पात्र हों, संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।

- iii. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए ये ब्यौरे केवल इस नोटिस में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।
- iv. आपने जिस पर वोट करने का चयन किया है उस संबंधित <COMPANY NAME> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- v. वोटिंग पृष्ठ पर आपको "रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "हां/ नहीं" विकल्प होंगे। आवश्यकतानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां यह प्रदर्शित करता है कि आप संकल्प को सहमति देते हैं और विकल् प नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
- vi. यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरे देखने के इच्छुक हैं तो "रिजॉल्यूशन्स फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- vii. संकल्प का चयन करने के बाद, आपने वोट करने का निर्णय लिया है, "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "CANCLE" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।
- viii. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट को "CONFIRM" कर लेते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- ix. आप वोटिंग पेज पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- x. यदि कोई डी-मैट खाताधारक लॉग-इन पासवर्ड भूल गया है तो यूजर आईडी और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दर्ज करें।
- xi. अपलोड किए गए बीआर/पीओए को अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, जो जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

xii. गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों (कस्टोडियन्स) के लिए अतिरिक्त सुविधा - केवल रिमोट वोटिंग के लिए।

- क) गैर-वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात व्यक्ती, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और खुद को "कॉरपोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- ख) संस्था की मुहर और हस्ताक्षर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन कॉपी helpdesk.evoting@cdlindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए।
- ग) लॉग-इन विवरण प्राप्त करने के बाद एडिमन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करके कम्प्लायंस यूजर बनाया जाना चाहिए। कम्प्लायंस यूजर उन खातों को लिंक करने में सक्षम होंगे, जिनके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
- घ) लॉग-इन में जुड़े खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप की जाएगी और किसी भी गलत मैपिंग के मामले में डीलिंक किया जा सकता है।
- ङ) यह अनिवार्य है कि बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की एक स्कैन की हुई कॉपी, जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी की है तो उसे जांचकर्ता द्वारा सत्यापित करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- च) वैकल्पिक रूप से, गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ, जांचकर्ता और कंपनी को ई-मेल पते (कंपनी द्वारा निर्दिष्ट ई-मेल पता) पर भेजना अनिवार्य है, यदि उन्होंने वैयक्तिक टैब से मतदान किया है और इसे जांचने के लिए संवीक्षक हेतु सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

एजेंडा मद क्र. 1 हेतु

बैठक के दौरान वीसी/ ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

- 1. ईजीएम के दिन बैठक में सहभाग लेने और ई-वोटिंग की प्रक्रिया ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
- 2. बैठक में सहभाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक वहां उपलब्ध होगा, जहां ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार सफल लॉग-इन के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।
- 3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने वाले शेयरधारक बैठक में सहभाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- 4. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- 5. शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरा अनुमति देने और अच्छी स्पीड से इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
- 6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- 7. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डी-मैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैठक से कम से कम 7 दिन पहले अग्रिम रूप से invest_services@mahabank.co.in पर अपना अनुरोध भेजकर एक वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जो शेयरधारक ईजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे बैठक से 7 दिन पहले अपना नाम, डी-मैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर पर invest_services@mahabank.co.in पर भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का कंपनी द्वारा उचित रूप से ई-मेल द्वारा उत्तर दिया जाएगा।
- 8. वे शेयरधारक जिन्होंने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें बैठक के दौरान केवल अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
- 9. केवल वे शेयरधारक, जो ईजीएम में वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
- 10. यदि ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट डाला जाता है और यदि वही शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोट को सुविधा के रूप में अमान्य माना जा सकता है। बैठक के दौरान ई-वोटिंग केवल बैठक में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ईमेल/मोबाइल नं. कंपनी/डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

- 1. भौतिक शेयरधारकों के लिए **कंपनी / आरटीए ई-मेल आईडी** पर ई-मेल द्वारा कृपया आवश्यक विवरण प्रदान करें जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (स्व-सत्यापित स्कैन की गई आधार कार्ड की कॉपी)।
- 2. डी-मैट शेयरधारकों के लिए कृपया अपने संबंधित **डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP)** के साथ अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतित करें।
- 3. वैयक्तिक डी-मैट शेयरधारकों के लिए कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के साथ अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतित करें, जो ई-वोटिंग करने और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

यदि सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ईजीएम और ई-वोटिंग में सहभाग लेने के संबंध में आपके कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो आप helpdesk.evoting@cdlindia.com पर ई-मेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ई-मेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल करें।

21 वार्षिक साधारण बैठक में संवीक्षक:

असाधारण सामान्य बैठक में आयोजित की जानेवाली रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे संवीक्षक का कार्य करेंगे।

22 ई-वोटिंग का परिणाम:

असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) में वोटिंग के परिणामों को रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल बाद सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर जारी किया जाएगा। ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे।

व्याख्यात्मक विवरण:

एजेंडा मद क्र. 1:

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव:

- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार जहां धारा 3 की उप धारा 2(बी) के खंड
 (सी) के अधीन निर्गम पूंजी, कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक है तो निदेशक मंडल में शेयरधारकों द्वारा उनके बीच से चयनित
 एक निदेशक होना चाहिए जोकि केन्द्र सरकार के निदेशक के अतिरिक्त होगा।
- बैंक के शेयरधारकों ने श्री प्रवीण कुमार को पहले ही शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना है, जिन्होंने 30.06.2024 को कार्यग्रहण किया
 है। उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक केन्द्र सरकार के अलावा शेयर धारकों के बीच से चयनित एक निदेशक की नियुक्ति हेतु पात्र
 है।
- iii. निदेशक मंडल ने 17 दिसंबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के बोर्ड में एक शेयरधारक निदेशक के इस रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है, जो कार्यग्रहण करने के दिनांक / मान्य दिनांक से 3 साल की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करेंगे।
- iv. अत: केंद्र सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न व संगत अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचना/ निर्देशों के अंतर्गत उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार, शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) अपने नामांकन भेज सकते हैं। उम्मीदवारी हेतु सभी प्रकार से पूर्णत: भरे हुए नामांकन प्राप्त होने के बाद निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा उम्मीदवारों की पहचान की जाएगी।

विधिक प्रावधान:

निम्नलिखित तालिका में इस संबंध में विभिन्न अधिनियमों/ विनिमय/ योजना/ अधिसूचनाओं में शामिल प्रावधान प्रदर्शित किए गए हैं :

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा ५ (एन -ई)	सब्सटेंशियल इंटरेस्ट
	धारा 16 (1)	सामान्य निदेशकों का निषेध
	धारा 20	इसके किसी भी निदेशकों को या उनकी ओर से किसी को ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध
	धारा 51	समनुरूपी नए बैंक को अधिनियमों की कतिपय धाराओं की प्रयोज्यता।

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970	धारा ३ (२ई)	मतदान करने के अधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9(3)(i)	शेयरधारकों द्वारा चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9(3ए) (ए) से (सी)	कतिपय क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान
	धारा ९(३एए) और धारा ९(३ एबी)	कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि पूर्व अभिलेख, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंडों के अधीन, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करे, उसे उपयुक्त तथा उचित स्थिति का व्यक्ति न माना जाए।
	धारा 9 (3बी)	चयनित निदेशक, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3 एए) की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, उसे हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार।
	धारा 13(2)	निष्ठा और गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970	खंड 9(4)	चयनित निदेशकों की कार्यालय अवधि
प्रावधान) योजना 1970	खंड 10	बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की अयोग्यता
	खंड 11	निदेशक के कार्यालय की रिक्ति
	खंड ११ए	चयनित निदेशक के कार्यालय से हटाया जाना
	खंड 11बी	चयनित निदेशक के कार्यालय की रिक्तियों को भरना
	खंड 12(8)	कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा हितों, जिनके लिए वे इच्छुक हैं, का विगोपन
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें)	विनियम 10	संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन
विनियम, 2004	विनियम ६१	साधारण बैठक में मतदान
	विनियम ६३	निदेशक आम बैठकों में चुने जाएंगे
	विनियम ६४	शेयरधारकों की सूची
	विनियम ६५	निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम ६६	नामांकनों की संवीक्षा
	विनियम ६७	निर्वाचन से संबंधित विवाद
	विनियम 68	मतदान अधिकारों का निर्धारण
	विनियम ६९	विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान
	विनियम ७०	प्रॉक्सियां
आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर डायरेक्शन डीबीआर.एपीपीटी नंबर: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019.	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 बैंकिंग की धारा 9(3एए) व धारा 9(3 एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर चयनित निदेशकों हेतु उपयुक्त तथा उचित मानदंड
वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सं.क्र.16/83/2013-बीओ द्वारा जारी 03 सितंबर 2013 का पत्र और 25 मार्च 2015 को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंड, 28 अप्रैल,2015 के भारत सरकार के पत्र एफ.क्र. 16/51/212-बीओ-आई. और दिनांक 20 जुलाई, 2016 और उसमें अनुवर्ती संशोधन, यदि कोई हो, के साथ पठित		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंड

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
01 जुलाई 2015 का भा रि बैं मास्टर परिपत्र डीबीआर. सं.डीआईआर. बी.सी. 10/ 13.03.00/ 2015-16		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण व अग्रिम प्रदान करना
सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए विनियम अधिनियम, अधिनियम, योजना/ विनियम और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की 24.11.2016 की अधिसूचना क्र. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29.39.001/16-17 और आरबीआई मास्टर डायरेक्शन डीबीआर.एपीपीटी.क्र::9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 तथा भारत सरकार के 25 मार्च 2015 और 20 जुलाई 2016 के दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध होंगे, जिसे यूजर द्वारा देखा/ डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसा सारांश इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल किया जाएगा जब नामांकन फॉर्मों के प्रस्तुतिकरण के लिए निर्धारित दिनांक अर्थात गुरुवार, 09 जनवरी, 2025 को या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में investor_services@mahabank.co.in पर कंपनी सचिव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पते पर अनुरोध प्राप्त हो।

क. निर्वाचन में सहभाग

विनिर्दिष्ट दिनांक अर्थात शुक्रवार 03 जनवरी, 2025 को एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त किए अनुसार लाभार्थी स्वामियों/ शेयरधारकों के रजिस्टर में प्रदर्शित नामवाले शेयरधारकों को केंद्र सरकार के शेयरधारकों को छोड़कर शेयरधारकों के बीच से निदेशकों के निर्वाचन में नामांकन करने, चुनाव लड़ने और वोट करने का अधिकार होगा।

यह नोट किया जाए कि केंद्र सरकार निदेशक के चुनाव में सहभाग लेने हेतु पात्र नहीं है किंतु समीक्षक के रूप में ईजीएम में सहभाग ले सकते हैं।

ख. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु अपेक्षित अर्हता

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार तथा जो अधिनियम की धारा 9(3)(आई) के अंतर्गत निदेशक बनने का इच्छुक है, उससे निम्नानुसार अपेक्षित है -

- (क) उसे निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :
 - i. कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - ii. बैंकिंग
 - iii. सहकारिता
 - iv. अर्थशास्त्र
 - v. वित्त
 - vi. विधि
 - vii. लघु उद्योग
 - viii. अन्य किसी भी विषय के संबंध में विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार बैंक के लिए उपयोगी होगा।
- (ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो. या
- (ग) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2016 की अपनी अधिसूचना डीबीआर. एपीपीटी.बीसी. क्र. 39/29.39.001/16-17 के माध्यम से निम्नलिखित विशेषज्ञता के क्षेत्रों को इसमें शामिल कर दिया है:

- i. सूचना प्रौद्योगिकी
- ii. भुगतान एवं निपटान प्रणाली
- iii. मानव संसाधन
- iv. जोखिम प्रबंधन और
- v. व्यवसाय प्रबंधन

अधिनियम की धारा 9(3एए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो कि बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक हो उसे 'उपयुक्त और उचित' (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति में होना चाहिए।

अधिनियम की धारा 9(3एबी) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त और उचित' (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति, ऐसे निर्धारण की पद्धित, ऐसा निर्धारण किए जाने हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसी कोई अन्य पद्धित जो उसमें आवश्यक या आकस्मिक मानी जा सकती हो का भी निर्धारण किया जा सकता है।

साथ ही, चुने गए निदेशक द्वारा प्रसंविदा का विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए और उनसे यह अपेक्षित है कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करें।

ग. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता

क. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा –

- (क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भूगतान रोक रखा हो या इस भूगतान से संबद्ध हो, या
- (ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा की हो, या
- (ग) यदि किसी नैतिक भ्रष्टता से जुडे अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या
- (घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किंतु वह बैंक के कर्मचारियों के बीच से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ङ) व (च) के अंतर्गत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर पद धारित करता है।
- (ङ) यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मास्टर डायरेक्शन डीबीआर.एपीपीटी नंबर 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 और आरबीआई अधिसूचना संख्या डीबीआर. एपीपीटी.बीसी.क्र.39/ 29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 और भारत सरकार के दिशानिर्देश क्रमांक एफ.क्र..16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 26 जुलाई , 2016 दिनांक 03 सितंबर 2013 के ओएम के साथ पठित अधिसूचना के अनुसार बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा "उचित और उपयुक्त" व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

घ. शेयरधारकों की सूची

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2004 के विनियम 64 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों की सूची (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप यथा सीडी अथवा अन्य कोई माध्यम से) निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में शेयरधारकों द्वारा रु.10,000/- (रुपए दस हजार केवल) के पूर्व भुगतान पर सीडी पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में तथा इसकी मुद्रित प्रति 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र' के पक्ष में पुणे में देय अनुसूचित बैंक के रु.50,000 (रुपए पचास हजार केवल) के मांग ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 से उपलब्ध की जाएगी।

उक्त सूची को खरीदने वाले इच्छुक उम्मीदवार सीएफओ व महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को संबोधित पत्र अथवा investors_services@mahabank.co.in मेल द्वारा अनुरोध करेंगे तथा यह घोषणा भी देंगे कि इस सूची का उपयोग चुनाव के प्रचार हेतु किया जाएगा तथा किसी अन्य प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

ङ. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों के रजिस्टर का शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण करने हेतु यह रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में सभी कार्य दिवसों (दूसरे और चौथे शनिवार तथा रविवार एवं बैंक अवकाश को छोड़कर) को प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा तािक प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भी भाग का उद्धरण प्राप्त कर सकें। जो शेयरधारक शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण करने के इच्छुक हैं, उन्हें निरीक्षण के दिन से कम से कम एक कार्य दिवस पहले investor_services@mahabank.co.in पर और 020 - 25511360 पर बैंक के कंपनी सचिव को सूचित करना आवश्यक है।

यदि कोई शेयरधारक प्रतिलिपि अथवा चुने हुए भाग/ अंश के कम्प्यूटर प्रिंट की मांग करता है तो उसे रु.5/- प्रति 1,000 शब्द अथवा उसके अनुपात में भुगतान करने पर वह उपलब्ध की जाएगी।

च. चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन

विनियमावली के विनियम 65 के संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर निर्देश डीबीआर.एपीपीटी.क्र.9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019, आरबीआई अधिसूचना संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी पत्र संदर्भ संख्या 16/83/2013-बीओ.आई दिनांक 03 सितंबर 2013 तथा 28 अप्रैल, 2015 और 26 जुलाई 2016 (भारत सरकार के दिशानिर्देश) को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनओडी के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड और विभिन्न अधिनियमों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में चुनाव के लिए एक उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जाएगा बशर्ते:

- (क) वह शेयरधारक है तथा शुक्रवार दिनांक 3 जनवरी, 2025 जोकि चुनाव में सहभागिता की विशिष्ट तारीख निश्चित की गई है, को उसके पास बैंक के 100 (एक सौ) से अधिक शेयर हैं तथा बैठक की तारीख तक, तत्पश्चात यदि वह चुना जाता/ जाती है तो उसका कार्यकाल समाप्त होने तक वह न्यूनतम 100 शेयर धारित करता/ करती है।
- (ख) गुरूवार, दिनांक 9 जनवरी, 2025 जो कि नामांकन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख है को वह अधिनियम/ योजना/ विनियम/ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक के रूप में अयोग्य नहीं माना जाता/ जाती है।

- (ग) अधिनियम के अंतर्गत निदेशक का चयन करने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत गठित अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नामांकन, बशर्ते कि शेयरधारक, जो कि एक कंपनी है, द्वारा एक नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो और जब यह बनाया जाए तो जिस बैठक में यह पारित हुआ हो उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।
- (घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा वैध नामांकन पत्रों के साथ उम्मीदवार का घोषणापत्र जिसका नमूना उपलब्ध किया गया है जो कि उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, दंडाधिकारी, एश्योरेन्स के रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसमें वह घोषणा करेगा/ करेंगी कि उसने नामांकन स्वीकार किया है तथा चुनाव हेतु खड़ा होने के लिए इच्छुक है तथा उसे अधिनियम अथवा विनियामक अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियमों अथवा भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के अधीन निदेशक के रूप में अयोग्य करार नहीं दिया गया है। साथ ही, उसे अपने वैयक्तिक ब्यौरे (बायो डाटा) पर हस्ताक्षर करके यह पृष्टि करनी होगी कि उसकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार यह ब्यौरे सत्य हैं तथा वह यह वचन भी देगा/ देगी कि यदि घोषणा करने के उपरांत इनमें कुछ परिवर्तन होता है तो वह पूर्ण रूप से संगत जानकारी यथाशीघ्र बैंक को सूचित करेगा/ करेगी।
- (ক্ত) नामांकनपत्र एवं घोषणापत्र विनियम में निर्धारित किए अनुसार और इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार हैं (यह प्रारूप बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध है।)

उसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2004 (जिसे अब से "विनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 02.08.2019 के मास्टर निर्देश क्र.डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.9/29.67.001/2019-20 के एवं दिनांक 24.11.2016 की अधिसूचना क्र.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29.39.001/2016-17 और दिनांक 20.07.2016 को जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में चयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी 28.04.2015 के पत्र एफ.क्र.16/51/2012-बीओ-आई (एतदद्वारा "भारत सरकार के दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) और उसमें आगे किए गए अन्य संशोधन, यदि कोई हो, के अंतर्गत अयोग्य करार नहीं दिया गया है।

छ. नामांकन फॉर्मों का प्रस्तुतीकरण

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारक, केन्द्र सरकार के अलावा, कृपया सूचना में संलग्न किए गए प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में, जिस पर यह विशेष रूप से लिखा गया हो "शेयरधारक निदेशक हेतु नामांकन – ईजीएम 2025", कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे – 411 005 को ईजीएम हेतु निर्धारित दिनांक से कम से कम 14 दिन पूर्व अर्थात गुरूवार 9 जनवरी, 2025 को बैंक के कार्यसमय के समापन अर्थात सायं 5.00 बजे से पूर्व प्रस्तुत करें।

- क. विधिवत भरा हुए घोषणा फॉर्म
- ख. चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन
- ग. वैयक्तिक जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) और इसके साथ संबंधित दस्तावेज, विवरण पत्र यथा क) बायोडेटा
 - ख) शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाणपत्र
 - ग) कार्य अनुभव आदि

उक्त नामांकन फॉर्म और अन्य दस्तावेज हर तरह से पूर्ण हो जिसमें कोई भी चूक होने से इसे निरस्त किया जाएगा।

ज. नामांकनों की जांच और निदेशक का निर्वाचन

- (क) विनियमों में निहित शर्तों के साथ नामांकन की अनुरूपता के लिए नामांकन की जांच **शुक्रवार, 10 जनवरी, 2025** को की जाएगी और यदि कोई नामांकन अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो उसके कारणों को दर्ज करने के बाद उसे खारिज कर दिया जाएगा।
- (ख) वैध नामांकन तब बोर्ड/निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक सिमिति (एनआरसी) द्वारा आरबीआई निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार जांच के अधीन होंगे। चूंकि आरबीआई के निर्देश/अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध प्रकृति में समान हैं, इसलिए बैंक उम्मीदवारों की उपयुक्त और उचित स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में सख्ती पर विचार कर सकता है।
- (ग) बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी/बोर्ड की सलाह के अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।
- (घ) यदि केवल एक ही उम्मीदवार है जो एनआरसी / बोर्ड द्वारा उपयुक्त और उचित पाया जाता है, तो उक्त उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और रिक्ति उत्पन्न होने के दिन से - यानी 25 जनवरी 2025 से पद ग्रहण करेगा। ऐसी स्थिति में या यदि कोई उम्मीदवार एनआरसी/बोर्ड द्वारा उपयुक्त और उचित नहीं पाया जाता है, तो ईजीएम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
- (ङ) यदि एनआरसी / बोर्ड द्वारा उपयुक्त और उचित पाए गए एक से अधिक उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवारों के नाम बैंक की वेबसाइट, सीडीएसएल ई-वोटिंग पोर्टल, समाचार पत्रों पर प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव किए जाएंगे। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा और उसके नाम की घोषणा की जाएगी और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

झ. उम्मीदवारी को वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह किसी भी समय किंतु **सोमवार, 20 जनवरी, 2025** को दोपहर 2.00 बजे से पूर्व बोर्ड सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को पत्र भेजकर या boardsec@mahabank.co.in अथवा investor_services@mahabank.co.in पर स्कैन हस्ताक्षरित पत्र भेजकर ऐसा कर सकता है।

ञ. विवाद

यदि कोई विवाद है तो उसका निराकरण यथा संशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

ट. अंश

शेयरधारकों के लाभ के लिए लागू अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/दिशानिर्देशों के प्रासंगिक भागों के अंश बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी प्रति प्राप्त करने के लिए investor_services@mahabank.co.in पर बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का शेयरधारक निदेशक के चुनाव में रुचि या सरोकार नहीं है, जब तक कि वह चुनाव लंडने का फैसला नहीं करता/करती है।

निदेशक मंडल द्वारा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक /महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति का उपर्युक्त संकल्पों में बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 24 दिसम्बर, 2024

स्थान: पुणे

(निधु सक्सेना) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



एक परिवार एक बैंक

नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा) (विनियमावली के विनियम 65(आई) (डी) का संदर्भ लें)

प्रति, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधान कार्यालय लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे 411005

अ.क्र.	
--------	--

प्रिय महोदय,

विषय: निदेशक के निर्वाचन के लिए नामांकन

(पूर्णत: भुगतान किए गए) का शेयरधारक हूं। पुणे में शुक्रवार,	बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयरधारक ो गई विनिर्दिष्ट तिथि) को रू.10/- प्रत्येक केईक्विटी शेयरो 24 जनवरी, 2025 को आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की
प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र श्री/श्रीमती	अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अनुसार शेयरधारकों का के निदेशक के रूप में निर्वाचन करने हेत् सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
श्री/श्रीमती को जो	के
निवासी हैं, उन्हें एतद्द्वारा नामित करता/करती हूं।	
नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि डीमेटिरेलाईज्ड नहीं है तो)	
डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र. (यदि डीमेटिरेलाईज्ड है तो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियां :

- यदि नामांकन निगमित निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल की जिस बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया है, उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षरयुक्त निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
- 2. उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए।
- 3. यदि उपर्युक्त कोई कॉलम रिक्त छोड दिया जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है तो, नामांकन को रद्द किया जा सकता है।

घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा) (विनियमावली के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं,	
	निवासी
क.	मैं शुक्रवार दिनांक 3 जनवरी, 2025 को अर्थात निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए मानी गई विनिर्दिष्ट तिथि को बैंक के रू.10/- प्रत्येक के ईक्रिटी शेयरों का धारक हूं तथा यदि निर्वाचित हुआ तो, मेरे कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 ईक्रिटी शेयर रखूंगा; तथा
ख.	मुझे *(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा (viii) सूचना प्रौद्योगिकी (ix) रिटेल बैंकिंग (x) मानव संसाधन प्रबंधन (xi) जोखिम प्रबंधन (अथवा अन्य किसी का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी होगा) और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 ए के अनुसार जमाकर्ताओं या किसानों, कर्मचारियों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं और इसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हूं तथा
ग.	मैं से तक क्रमांकित नामांकन को स्वीकार करता हूं;
घ.	मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक का चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं;
ङ.	मुझे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2004 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक की संबंधित अधिसूचनाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में विचारार्थ भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; और
च.	मैं न तो किसी लाभ के पद पर कार्यरत हूं और न ही किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक का कर्मचारी हूं; और
	मैं यह भी घोषित करता हूं कि
छ.	मुझे किसी भी समय दीवालिया नहीं माना गया है या भुगतान विलंबित होने या लेनदार के साथ समझौता करने वाला नहीं माना गया है; और
ज.	मुझे कभी भी विक्षिप्त अथवा अस्वस्थ मन का नहीं पाया गया है और न ही ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा कभी भी अपराधी नहीं घोषित किया गया है और मुझे आपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे किसी भी अपराध के लिए अपराधी घोषित नहीं किया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो और
झ.	मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी के रूप में घोषित नहीं किया गया है; और
ञ.	चयन होने के तुरंत बाद मैं बैंक के साथ पेशेवर संबंध, यदि कुछ हो, से पृथक हो जाऊंगा और निदेशक के रूप में मेरी अवधि के दौरान

और इसके उपरांत दो वर्ष की अविध हेतु बैंक के साथ कोई पेशेवर संबंध नहीं रखूंगा; और

- ट. मैं किसी भी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या बीमा कंपनी में निदेशक मंडल का सदस्य या किसी अन्य बैंक में एनओएफएचसी धारक नहीं हूं।
- ठ. मैं किसी भी प्रकार की किराया खरीद, वित्तपोषण, धनशोधन, निवेश, लीजिंग और अन्य पैराबैंकिंग गतिविधियों से संबद्ध नहीं हूं।
- ड. मैं पूर्व में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान/भारतीय रिज़र्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल पर किसी भी श्रेणी में छह वर्ष के लिए, विराम के साथ या निरंतर निदेशक नहीं रहा हूं।
- ढ. मैं स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं हूं।
- ण. मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थात अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि जैसे निकाय) के सदस्य का पद नहीं संभाल रहा हूं।
- त. मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।
- थ. मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं जो वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वैधानिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया है।
- द. मेरा न तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही मैं ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूं जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।
- ध. मेरा किसी बैंक या किसी अन्य बैंक को धारण करने वाले एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और चुने जाने पर मैं निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले बैंक के साथ संबंध तोड़ने का वचन देता हूं।
- न. मैं किसी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकारी/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूं और मैं किसी भी ऋण देने वाली संस्था का चूककर्ता (डिफॉल्टर) नहीं हूं।
- प. मैं निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले प्रसंविदा विलेख (आरबीआई निर्देश दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता हूं;
- फ. मैं इस घोषणा के बाद यहां दी गई जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी में यदि परिवर्तन होता है तो उसे बैंक को यथासंभव शीघ्र अवगत कराने का तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचित होने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूं।
- ब. मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद धारित करने तक समय समय पर संशोधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूं। और
- भ. मैं अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता हूं जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण हैं, और
- म. मैं अन्य कंपनियों/ बैंकों में मेरे वर्तमान व अतीत के निदेशकत्व के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत करता हूं।

कंपनी/ बैंक इत्यादि का नाम	निदेशकत्व के ब्यौरे यथा अवधि	, कार्यकाल आदि
i अपना व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न कर रहा हूं जोकि मेरे ज्ञा	न और विश्वास के अनुसार हर तरह से प	पूर्ण और सही है, तथा
नाम		
हस्ताक्षर		
शेयरों की संख्या		
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि डीमेटिरेलाईज्ड नहीं है तो)		
डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र. (यदि डीमेटिरेलाईज्ड है तो)		
स्थान		
दिनांक		
पर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए।		
ाम :		मुहर के साथ हस्ताक्षर
थि :		
ग्रयाधीश, मजिस्ट्रेट, ऐश्योरेंस के रजिस्ट्रार अथवा सव	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
(बैंक ऑफ महाराष्ट्र या	किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) के अधिकार	ी की मुहर के साथ हस्ताक्षर।
जो भी लागू हैं उसे चिन्हित करें		

य.

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीडीयू फॉर्म)

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र बैंक का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

यहां पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

क्र.	2025 की स्थिति के अनुसार उचित अनुलग्नक सहित उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनपत्र		
I.	उम	मीदवार के व्यक्तिगत विवरण	
	1.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
	2.	पिता का नाम (पूरा)	
	3.	लिंग	
	4.	वर्तमान पता	
	5.	ई-मेल आई डी तथा वैकल्पिक ई-मेल आई डी: एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन क्रमांक : मोबाइल क्रमांक :	
	6.	राष्ट्रीयता	
	7.	जन्मतिथि	
	8.	शैक्षिक योग्यता (कृपया जानकारी का समर्थन करने वाले प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)।	
	9.	निदेशक पहचान क्रमांक :	
	10.	आधार क्रमांक :	
	11.	1.आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता क्रमांक (पैन) (कृपया एक प्रति जोडें)। 2. आयकर परिमंडल / मंडल जहां व्यक्तिगत कर विवरणी फाईल की जाती है उसका नाम व पता। 3. पिछले 3 वर्षों के लिए आयकर रिटर्न तथा करों के भुगतान की जानकारी।	
	12.	स्थायी पता	
	13.	एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में विवरण, अर्थात् अकाउंटंसी, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि लघु उद्योग, अथवा सूचना प्रद्यौगिकी, भुगतान व निपटान प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या अन्य का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा।	
	14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संस्था का नाम, अनुभव पर संक्षेप जानकारी)	
	15.	जिसमें कार्य किया गया उस संस्था के पूर्ण पते, कार्य ग्रहण का दिनांक, भारमुक्त होने का दिनांक (कारण सहित), पद इत्यादि सहित पिछले न्यूनतम दस वर्षों में किए गए व्यवसाय की जानकारी	

	16.	सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित दर्शाएँ (क) इन्स्टीटूट ऑफ चार्टर अकाउंटंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) का सदस्य क्रमांक (ख) आईसीएआई में पंजीकरण का दिनांक (ग) पंजीकृत फर्म का नाम व पता (घ) वर्तमान में फर्म या आपके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा का ब्यौरा	
	17.	जहाँ आप प्राथमिक खाताधारक (बचत/चालू/ऋण खाता) हो उस बैंक का नाम शाखा तथा खाता क्रमांक सहित	
	18.	आपके, आपकी पत्नी/पति या अवयस्क बच्चे द्वारा यदि किसी रूप में, या तो भौतिक या डिमैट रूप में रखा गया हो, शेयर धारिता का ब्यौरा (डी-मैट / शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
	19.	बैंक के निदेशक के रूप में संबंधित कोई अन्य जानकारी	
II.	प्रस्ता	वित निदेशक का प्रासंगिक सम्बंध	
	20.	उम्मीदवार के रिश्तेदारों की सूची, यदि हो तो, जो बैंक से किसी भी रुप में संबद्ध है [(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77) तथा नियम, 2014 कंपनी के नियम 4 के (परिभाषा ब्यौरों का विनिर्दिष्टीकरण)]	
	21.	इकाईयों की सूची जिसमें: (क) इच्छुक [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें]: (ख) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियम भी देखें]: (ग) ट्रस्टी (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):	
	22.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें बैंकिंग विनियमन	कंपनी/ फर्म का नाम
		अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) 4 के अर्थ में पर्याप्त रुचि है।	निगमन का देश
			शेयरों की संख्या
			प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य
			शेयर होल्डिंग का कुल अंकित मूल्य
			कुल धारिता के % के रूप में शेयरधारिता
			लाभकारी हित
			क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी है
	23.	विदेशों में निगमित संस्थाओं और भारत में व्यवसाय का स्थान रखने वाली संस्थाओं में धारिता का विवरण।	
	24.	बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या अतीत में बोर्ड के सदस्य/सलाहकार आदि (उस अवधि का विवरण देते हुए जिसके दौरान ऐसा कार्यालय/कार्य किया गया है)	

	36.	यदि मानसिक स्थिति ठीक नहीं पाई जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण दें।	
	37.	(क) नैतिक अधमता या अन्यथा किसी अपराध के लिए आपराधिक न्यायालय ने यदि दोषी ठहराया हो तो तत्संबंधी विवरण दें।	
		(ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया है, तो उसका ब्यौरा दें।	
	38.	पूर्ण कालिक निदेशक के पद को धारण करने के अलावा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, के अंतर्गत यदि कोई लाभ का पद धारण किया हो, तो उसका विवरण दें।	
	39.	क्या उक्त (21) और (26) की कोई भी इकाई या उम्मीदवार को किसी सरकारी विभाग या एजेंसी या पूर्व नियोक्ता के संदर्भ पर किसी अन्वेषण / सतर्कता जांच के अधीन रखा गया है? तो विवरण दें।	
	40.	क्या उम्मीदवार किसी भी समय नियमों/ अधिनियमों/ सीमा शुल्क/ उत्पाद शुल्क/आय कर/विदेशी मुद्रा विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है; यदि ऐसा है तो विवरण दें।	
	41.	यदि व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण किसी भी नियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, व्यावसायिक संगठन, सरकारी एजेंसी, या अदालत द्वारा फटकार, निंदा, प्रतिबंधित, निलंबित, वर्जित, आदेश, या अन्यथा स्वीकृत किया गया हो, तो उसका विवरण। (यद्यिप उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नियंत्रक द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख किया जाए जो कि बाद में वापस ले लिए गए/पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए, तथापि ऐसी स्थिति में इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा जबिक वापस लेना / समाप्त करना किसी तकनीकी कारण यथा परिसीमन या न्यायक्षेत्र के अभाव आदि से हुआ हो और योग्यता के आधार पर न हो. यदि आदेश अस्थायी रूप से स्थिगत किया गया है	
V.	सामा	न्य जानकारी	
	42.	यदि कोई व्यावसायिक जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट, एडवोकेट आदि और वर्तमान में किसी बैंक में कोई व्यावसायिक कार्य कर रहा है/किया है, तो उसका विवरण प्रदान करें जिसमें बैंक का नाम और बैंक के साथ सहकार्य की अवधि शामिल है।	
	43.	यदि कोई मौजूदा सांसद/विधायक/एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारण किया है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
VI.		प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, 'उपयुक्त और उचित' का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी हो तो, उसका विवरण प्रदान करें।	

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता/करती हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में अपने निर्वाचन के उपरांत संपन्न ऐसी समस्त गतिविधियों, जो कि उक्त उपलब्ध कराई गई जानकारी से संबंधित है, उन्हें बैंक को यथासंभव शीघ्रता से पूर्णतः अवगत कराने का वचन देता हूं।

मैं बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले 'अपेक्षित प्रसंविदा विलेख' के निष्पादन का भी वचन देता हूं।

स्थान : दिनांक :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

संलग्रक:

- 1. जहां कहीं भी स्थान पर्याप्त न हो वहां कृपया कालानुक्रमिक रूप से और समुचित प्रतिसंदर्भ सहित जानकारी अनुबंध के रूप में संलग्न करें।
- 2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ बोर्ड की टिप्पणी जिसमें वे इस बात से संतुष्ट हैं कि उपर्युक्त जानकारी पूर्ण व उचित है।	
दिनांक :	
स्थान :	एनआरसी/ बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

निगमित अभिशासन में हरित पहल – कागज मुक्त बनें!!!

प्रिय शेयरधारक,

निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार ('मंत्रालय') द्वारा हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों द्वारा कागज रहित अनुपालन की अनुमित देकर "कॉपोरेट गवर्नेंस में हरित पहल" की है। हाल के परिपत्रों के संदर्भ में क्र.17/2011, दिनांक 21.04.2011 और 18/2011 दिनांक 29.04.2011, जिसके अंतर्गत कंपनियां अब पंजीकृत ई-मेल शेयरधारकों के पते पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिस/ दस्तावेज (जैसे एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि) भेज सकती हैं। यह बड़े पैमाने पर बैंक, शेयरधारकों और समाज के लिए एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि यह तेजी से संचार की सुविधा प्रदान करेगा और कागज की खपत को काफी हद तक कम करेगा जिससे शेयरधारकों को हिरत वातावरण में अपना योगदान देनें में सहायता मिलेगी।

ई-संप्रेषण के लिए पंजीकरण के लाभ:

- तुरंत संचार प्राप्त करें;
- कागज की खपत कम करें और पेड़ों को बचाएं;
- डाक प्रेषण में दस्तावेज़ के नुकसान से बचें;
- कागज और डाक पर लागत बचाएं।

यह हरित पहल में योगदान करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) के प्रत्येक शेयरधारक के लिए एक सुनहरा अवसर है।.

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें नीचे दी गई हैं:

- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए: कृपया, भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संचार प्राप्त करने के लिए बैंक / आरटीए के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं और एजीएम नोटिस में दिए गए ईमेल आईडी पंजीकरण फॉर्म को विधिवत भरकर इसे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को हस्ताक्षरित कर वापस भेजें।
- डी-मैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए: अपने निक्षेपागार सहयोगी (डिपोंजिटरी पार्टिसीपेंट) या बैंक के साथ अपना ईमेल पता अपडेट करें।

कृपया ध्यान दें कि, यदि आप अभी भी सभी संचार और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी / भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, तो बैंक आपको बिना किसी अतिरिक्त लागत के इसे प्रदान करेगा।

आप हमारी वेबसाइट https://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meeting-Updates.asp से ई-मेल आईडी पंजीकरण फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं।

इस हरित पहल में आपकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है।

धन्यवाद।

सादर, कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

ह/-(नेहल रावत) कंपनी सचिव



ई-मेल आईडी पंजीकरण फॉर्म

प्रति.

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेन्ट लिमिटेड (आरटीए)

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

पता : 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव,

खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

टेलीफोन: (022) 022-28516021-22

ईमेल : helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mscregistrars.com

वेबसाइट : www.mcsregistrars.com

प्रिय महोदय/ महोदया,

विषय: ई-मेल आईडी का पंजीकरण

मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में बैंक से शेयरधारकों के सभी भावी संचार जैसे नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट/ दस्तावेज आदि प्राप्त करने के लिए सहमत हूं। सभी सूचनाएं/ दस्तावेज आदि ई-मेल के माध्यम से भेजने के लिए कृपया मेरे ई-मेल आईडी को अपने अभिलेख में पंजीकृत करें।

प्रथम /एकल शेयर धारक का नाम	
पंजीकृत फोलियो क्रमांक /डीपी आईडी-ग्राहक आईडी	
पता	
	पिन कोड :
ई-मेल आईडी	
संपर्क क्रमांक	

नोट: 1) शेयरधारकों से अनुरोध है कि ईमेल पते में कोई भी परिवर्तन होने पर बैंक को सूचित करें। जब तक आपके द्वारा लिखित रूप में एक और संचार भेजकर, दी गई ई-मेल आईडी नहीं बदली जाती है, बैंक आपको उपर्युक्त ई-मेल आईडी पर नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट/ दस्तावेज इत्यादि भेजना जारी रखेगा। 2) यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं, तो कृपया अपने डीपी के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करें।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं।

दिनांक :	
स्थान:	(शेयरधारक के हस्ताक्षर)



Bank of Maharashtra

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411005



Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Friday, the 24th January, 2025 at 11.00 a.m. (IST) via Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following:

SPECIAL BUSINESS

Item No. 1

Election of Shareholder Director.

To elect **ONE** Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "Regulation Act"), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Bank of Maharashtra (Shares & Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as the "Regulations") and RBI Master Direction DBR.APPT.No.:9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and Notification no. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'RBI Notifications') and further amendments thereto, Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated September 3, 2013 from Government of India (GOI) and F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 (the extant Govt. of India guidelines) read with Guidelines dated July 08, 2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines") and further amendments, if any, made thereto and to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with Banking Regulation Act, 1949, relevant Scheme, Regulations made there under, RBI Directions and the Government of India Guidelines, be and is hereby appointed as Director of the Bank for a period of three years from the Date/Deemed Date of assumption of Office."

Upon election, the aforesaid Resolution shall also be considered to be passed under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

By order of Board of Directors

(Nidhu Saxena) Managing Director and CEO

Date: 24th December, 2024

Place: Pune

NOTES

- 1 The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No.1 at the meeting is annexed hereto.
- Ministry of Corporate Affairs vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 and Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024 has permitted companies to hold EGMs through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) by 30th September 2025. In view of the same, the EGM of the Bank will be conducted through VC / OAVM. Hence, Members can attend and participate in the ensuing EGM through VC/OAVM only. The Head Office of Bank shall be deemed to be the venue of the EGM.

3 APPOINTMENT OF PROXY:

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 will not be available for the EGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith.

4 APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to the investor_services@mahabank.co.in on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Saturday, 18.01.2025.

- The attendance of the Shareholders attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the guorum under the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004.
- In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 13th May, 2022, Notice of the EGM is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholders may note that the EGM Notice of the Bank will also be available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL https://www.evotingindia.com.
- 7 Process to register the email id for receiving Bank's EGM Notice:

For Physical Shareholders: Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending either physical copy of duly filled-in ISR-1 form to MCS Share Transfer Agent Ltd., 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave, Kherani Road, Sakinaka Andheri (E), Mumbai – 400072 or by sending mail at helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com.

For Shareholders holding shares in Demat form: Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose email ids / Bank account details are not registered are requested to register/update their email addresses, mobile numbers and Bank account details with their relevant depositories through their Depository Participants.

- 8 Since the EGM will be held through VC / OAVM, the Route Map of venue of meeting is not annexed in this Notice.
- 9 The facility to attend the EGM through VC / OAVM will be provided through the Central Depository Services of India Limited (CDSL). The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the EGM through VC / OAVM and Voting at the EGM are given separately hereunder.
- The Members can join the EGM in the VC / OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC / OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first serve basis. This will not include large Members (Members holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first serve basis.

11 Shareholders of Bank, who have not registered their email addresses with Bank / Depositories /RTA can obtain the Notice of EGM by sending email to investor_services@mahabank.co.in / mparase@mcsregistrars.com

12 SPECIFIED DATE FOR ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTOR (AGENDA ITEM NO. 1):

For the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e., to **Nominate, Contest and Vote** for the Election of ONE Director representing the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, **Friday, 3**rd **January, 2025** is fixed as Specified Date, as mentioned in the Notice. Thus, Voting Rights of shareholders in respect of election of Shareholder Director shall be reckoned as on **Friday, 3**rd **January, 2025**.

13 In case of joint holders, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Bank will be entitled to vote at the EGM.

14 Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.

Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish PAN details to RTA.

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

Sr. No	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular are available on our website www.bankofmaharashtra.in.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at below address at the earliest:

Details of the RTA:

MCS Share Transfer Agent Limited,

(Unit: Bank of Maharashtra)

Address: 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave,

Kherani Road , Sakinaka Andheri (E) , Mumbai - 400072

Phone: 022-28516021-22

E-mail: helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

Website: www.mcsregistrars.com

Holding of shares in Electronic Form

In respect of shareholders who hold shares in the dematerialized form and wish to update their PAN, KYC, Bank Details and Nomination are requested to contact their respective Depository Participants.

15 Communication with Bank's Registrar and Transfer Agent

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Transfer Agent of the Bank at the following address:

MCS Share Transfer Agent Limited,

(Unit: Bank of Maharashtra)

Address: 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave,

Kherani Road, Sakinaka Andheri (E), Mumbai - 400072

Phone: 022-28516021-22

E-mail: helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

Website: www.mcsregistrars.com

16 Dematerialization of Physical Holdings:

SEBI has amended relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to disallow listed companies from accepting request for transfer of securities which are held in physical form, with effect from 01st April, 2019. Further it has been mandated vide amendment 2022 that transmission or transposition of securities held in physical or dematerialised form shall be effected only in dematerialised form. The shareholders who continue to hold shares in physical form even after this date, will not be able to lodge the shares with Bank / its RTA for further transfer. They will need to convert them to demat form compulsorily if they wish to effect any transfer. Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted by the RTA.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of Bank of Maharashtra, are once again requested to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

17 Benefits of Dematerialization of Shares:

- · No threat of loss and wear and tear of share certificate
- Easy and convenient way to hold securities
- · Immediate transfer of securities
- Reduced paperwork for transfer of securities
- Reduced transaction cost
- Dividend directly credited to your Bank Account.

18 Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of the Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed for the financial years till 2014-15 has been transferred to "Investor Education and Protection Fund".

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the year 2021-22, 2022-23 and 2023-24 are advised to approach the Bank's Registrar and Transfer Agent at aforesaid address or at Bank's Investors' Services Department at Pune.

The unclaimed dividend amount can be claimed from the IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 and sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Bank) along with the requisite documents enumerated in Form IEPF-5 to the Bank at the Head Office, Pune. The IEPF Rules and the application Form IEPF-5 as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for claiming back the unclaimed dividend are available on the website of the Bank at www.bankofmaharashtra.in as well as the website of MCA at www.iepf.gov.in

19 Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda item either through remote e-voting or voting at the meeting.

20 Information and other instructions relating to e-voting process are as under.

i. CUT-OFF DATE FOR AGENDA ITEM NO. 1:

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the Shareholders in respect of the agenda item shall be reckoned as on Friday, 3rd January, 2025.

ii. REMOTE E-VOTING:

Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. Remote E-voting is optional. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the Specified Date may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders from 09:00 a.m. on Tuesday, 21st January, 2025 till 05:00 p.m. on Thursday, 23rd January, 2025 and the e-voting platform will be disabled thereafter.

iii. In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above said SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode** is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository	 Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit cdsl website www.cdslindia.com and click on login icon & My Easi New (Token) Tab. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at cdsl website www.cdslindia.com and click on login & My Easi New (Token) Tab and then click on registration option. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from an e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

Type of shareholders	Login Method	
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL Depository	 If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com/. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting 	
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants (DP)	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.	

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000

Login method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than individual shareholders holding Shares in Demat form & physical shareholders.

- 1. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- 2. Click on "Shareholders" module.
- 3. Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- 4. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- 5. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- 6. If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric* PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- i. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- ii. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- iii. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- iv. Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.
- v. On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- vi. Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- vii. After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- viii. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- ix. You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- x. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

xi There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.

xii. Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians –For Remote Voting only.

- a. Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- b. A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- c. After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- d. The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delinked in case of any wrong mapping.
- e. It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- f. Alternatively, Non Individual shareholders are required mandatorily to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Company at the email address viz; (designated email address by company), if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

- 1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
- 2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
- 3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the EGM.
- 4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
- 5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- 6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- 7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance atleast 7 days prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor_services@mahabank.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the EGM but have queries may send their queries in advance 7 days prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor_services@mahabank.co.in. These queries will be replied to by the company suitably by email.
- 8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
- 9. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
- 10. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders may be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE COMPANY/DEPOSITORIES.

- 1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **Company/RTA email id**.
- 2. For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective **Depository Participant (DP)**
- 3. For Individual Demat shareholders Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911

21 SCRUTINIZERS AT E-VOTING AT EGM:

M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane shall act as Scrutinizer for both the remote e-voting and e-voting process to be conducted at the EGM.

22 RESULTS OF E-VOTING:

The Results of the voting at the EGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank www.bankofmaharashtra.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT

Agenda Item No.1:

ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

- i. As per Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, where the capital issued under clause (c) of sub section 2B of Section 3 is more than sixteen per cent but less than thirty two percent of the total paid up capital of the Bank, the Board of Bank should have two Directors duly elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves.
- ii. The Shareholders of the Bank have already elected Shri Praveen Kumar as a Shareholder Director who assumed office on 30.06.2024. As per the above guidelines, the bank is having vacancy of one director, elected from amongst shareholders, other than the Central Government.
- iii. The Board of directors at their meeting held on 17th December, 2024 has approved to conduct the election to fill in this vacancy of One Shareholder Director on the Board of the Bank who shall assume the office for a period of 3 years from the Date/Deemed Date of assumption of Office.
- iv. The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Acts / Scheme /Regulations / Notification /Directions from the Central Government/ RBI. Upon receipt of nomination of candidature duly filled in all respect, scrutiny of nomination will be completed by the Nomination Committee of the Board.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Regulations / Scheme / Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e)	Substantial Interest
	Section 16 (1)	Prohibition of Common Directors
	Section 20	Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
	Section 51	Applicability of certain sections of Act to a corresponding new Bank.
The Banking Companies	Section 3 (2E)	Restriction on voting rights
(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 9(3)(i)	No. of directors to be elected by the shareholders
Ondertakings) Act, 1970	Section 9(3A) (A) to (C)	Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA)& Section 9(3AB)	No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks	Clause 9(4)	Term of office of elected directors
(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 10	Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	Vacation of office of Director
	Clause 11A	Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	Filling of casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
The Bank of Maharashtra	Regulation 10	Exercise of rights of joint holders
(Shares and Meetings) Regulations, 2004	Regulation 61	Voting at General Meetings
negulations, 2004	Regulation 63	Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 64	List of Shareholders
	Regulation 65	Nomination of candidates for election
	Regulation 66	Scrutiny of nominations
	Regulation 67	Election disputes
	Regulation 68	Determination of voting rights
	Regulation 69	Voting by duly authorized representative
	Regulation 70	Proxies

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR.APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019.	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected Directors on the Board of Nationalized Banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I.dated 28 th April 2015 and dated 20 th July 2016 and subsequent amendments there to, if any.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director (NOD) in Public Sector Banks
RBI Master Circular DBR. No. Dir. BC. 10/13.03.00/2015-16 dated July 1, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Acts, The Regulation Act, The Scheme / The Regulations as well as RBI Master Direction DBR.APPT.No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019, RBI Notification DBR.Appt.BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016, GOI Guidelines dated March 25, 2015 and July 20, 2016 will be hosted on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in which can be viewed / downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Maharashtra at its Head Office at investor_services@mahabank.co.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz., Thursday, 9th January, 2025.

A. PARTICIPATION IN ELECTION

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified Date** i.e., on **Friday, 3**rd **January, 2025** shall be entitled to participate i.e., **Nominate, Contest and Vote** in election of one Director from amongst Shareholders, other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the EGM as an Observer.

B. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- A. Have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:
 - i. Agriculture and rural economy
 - ii. Banking
 - iii. Co-operation
 - iv. Economics
 - v. Finance
 - vi. Law
 - vii. Small scale industry
 - viii. Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the bank.
- B. Represents the interest of depositors; or
- C. Represents the interest of farmers, workers and artisans

RBI vide its Notification DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include:

- i. Information Technology
- ii. Payment & Settlement Systems
- iii. Human Resources
- iv. Risk Management and
- v. Business Management

In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification, candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under subsection 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- A. In terms of Clause 10 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified form being appointed, as a Director:
 - a. If he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b. If he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a Competent Court; or
 - c. If he has been convicted by Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d. If he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and;

e. If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India RBI Master Direction DBR.APPT No.9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and RBI Notification No. DBR.Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and Government of India guidelines No.F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 26, 2016 read with OM dated September 03, 2013 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

D. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., CD or such other media) will be available at Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005 from 24th December, 2024 for purchase by Shareholders on a pre-payment of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) for soft copy on CD and Rs.50,000 (Rs. Fifty Thousand only) for hard copy, by way of demand draft /pay order on a Scheduled Bank in favor of 'Bank of Maharashtra' payable at Pune.

The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to Board Secretary, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 or on mail at investor_services@mahabank.co.in with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

E. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 on all working days (other than Second and Fourth Saturday, Sundays and Bank Holidays) between 10.00 a.m. to 5.00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders. Shareholders who are desirous of inspecting the Register of Shareholders are required to intimate the Company Secretary of the Bank at investor_services@mahabank.co.in and on 020 - 25511360 atleast one working day before the day of inspection.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

F. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

In terms of Regulation 65 of the Regulations, Reserve Bank of India Master Direction DBR.APPT. No.9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019, RBI Notification No. DBR.Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and Letter dated September 03, 2013 vide Ref F. No.16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a NOD in Public Sector Banks issued on April 28, 2015 and July 26, 2016 (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts/ Guidelines/ Directives, nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- a. He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, 3rd January, 2025 being the Specified Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b. As on Thursday, 9th January, 2025 being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Acts / Scheme / Regulations / RBI Notifications /GOI Guidelines.
- c. The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- d. The valid nominations by the shareholders (Minimum 100) are accompanied by declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- e. The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulations and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in)

He / She is not disqualified under The Banking Regulation Act, 1949 or The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as "The Regulations") and RBI Master Direction DBR.APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and RBI Notification No. Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016- 17 dated November 24, 2016 and Letter F.No.16/51/2012-BO-I, dated April 28, 2015 read with Guidelines dated July 20, 2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines") and further amendments, if any, made thereto.

G. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope, marked "Nomination for Shareholder Director - EGM 2025" to the Board Secretary, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune - 411005, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e., on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m., on Thursday, 9th January, 2025.

- a. Duly filled in Declaration Form;
- b. Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c. Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU form) in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of
 - a) Bio-data
 - b) Certificate of Educational Qualifications
 - c) Work Experience, etc.,

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

H. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTOR

- a. Nominations shall be scrutinized on **Friday**, **10**th **January**, **2025** for conformity of the Nomination with the conditions as contained in the Regulations and in case any nomination is found not to be conforming, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b. Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board / Board of Directors as the case may be in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines. As the restrictions imposed by RBI Direction/Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.
- c. The Bank may at the time of Scrutiny of Nominations or as advised by the NRC / Board seek further information, documents from the Candidates in support of his/her candidature.
- d. If there is only One candidate who is found to be Fit & Proper by the NRC / Board the said candidate shall be deemed to be elected. In such an event or in case no Candidate is found to be Fit & Proper by the NRC / Board, the EGM will not be conducted.
- e. If there are more than **One Candidate** found to be Fit & Proper by the NRC / Board, the names of the candidates shall be published on the Bank's website, CDSL E-voting Portal, newspapers and Election will be held. Candidate polling the majority of the votes will be declared as elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.
- f. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected

I. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time but not later than 2.00 p.m. on **Monday, 20**th **January, 2025** by sending a signed letter addressed to Board Secretary, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 or scanned signed letter over e-mail at boardsec@mahabank.co.in or investor_services@mahabank.co.in.

J. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, as amended.

K. EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ Guidelines are available on Bank's website www.bankofmaharashtra.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting election may download the same or may write to the Company Secretary of the Bank at investor_services@mahabank.co.in to obtain copy thereof.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Bank is interested or concerned in the Election of Shareholder Director unless he / she decides to the contest the Elections

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

By order of Board of Directors

Date: 24th December, 2024 (Nidhu Saxena)
Place: Pune Managing Director and CEO



एक परिवार एक बैंक

NOMINATION FORM

(By the Shareholder) (Refer Regulation 65 (i) (d) of the Regulations)

NOTES:

- In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
- 3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

DECLARATION

(By the Candidate) (Refer Regulation 65 of the Regulations)

l, _	son / daughter / wife of Shri. /Smt, a resident ofhereby confirm that:		
a.	I am a Shareholder holding equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on Friday, 3 rd January, 2025 i.e., the Specified Date for participating in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected;		
b.	I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or (viii) Information Technology (ix) Retail Banking (x) Human Resources Management (xi) Risk Management or any other special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials;		
C.	I accept the nominations numbered from to;		
d.	I am willing to contest for the election of Director of Bank of Maharashtra;		
e.	I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of The Banking Companie (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, The Nationalised Bank (Management and Miscellaneou Provisions) Scheme 1970, The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, relevan notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non-Official Directors of Public Sector Banks;		
f.	I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;		
	I further declare that :		
g.	I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and		
h.	I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and		
i	I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court		

- i. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
- j. I will severe professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- k. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
- I. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities:
- m. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- n. I am not engaging in the business of stock broking.
- o. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)
- p. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalized bank or State Bank of India

- q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank of Maharashtra in which nomination for election is filed.
- r. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Bank of Maharashtra nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Bank of Maharashtra.
- s. I am not having any professional relationship with any bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.
- t. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- u. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI Directions dated 02.08.2019) before assuming office as a director;
- v. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- w. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and
- x. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and
- y. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company/ Bank etc.	Directorship details viz., tenure, period etc.

z. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No (If not Dematerialised)	
D.P.I.D. No. & Client I. D. No.(If Dematerialised)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.	
Name :	Signature with Seal

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of Maharashtra or any Nationalised Bank.

* Tick whichever is applicable

Note- modify suitably / delete if necessary.

(PDU FORM PRESCRIBED BY RBI)

Personal Information, Declaration and Undertaking Name of the Bank: Bank of Maharashtra

Affix passport size photo here

Sr. No.	Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on			5
I.	Personal details of the candidate			
	1.	Full Name (in capital letters)		
	2.	Fathers Name (in Full)		
	3.	Gender		
	4.	Present address		
	5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:		
	6.	Nationality		
	7.	Date of Birth		
	8.	Educational Qualifications		
		(Please attach self-attested copies of the certificates supporting the information).		
	9.	Director Identification Number		
	10.	Aadhar Number		
	11.	 Permanent Account Number under the Income Tax Act (please enclose a copy). Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed. Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years 		
	12.	Permanent address		
	13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.		
	14.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)		
	15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc		

			-
	16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: a. Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): b. Date of registration with the ICAI: c. Name and Address of the registered firm/s: d. Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:	
	17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:	
	18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)	
	19.	Any other information relevant to directorship of the bank:	
II.	Rele	vant Relationships of proposed director	
	20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:	
	21.	List of entities in which: a. interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: b. beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: c. Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):	
	22.	List of entities, existing and proposed, in which holding	Name of Company/ Firm
		substantial interest within the meaning of Section 5(ne)4 of the Banking Regulation Act, 1949.	Country of incorporation
			Number of shares
			Face value of each shares
			Total face value of share holding
			Shareholding as % of total holding
			Beneficial interest
			Whether the entity is a Section 8 company under Companies Act, 2013
	23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.	
	24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).	

	25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.	
	26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.	
	27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.	
	28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.	
III.	Reco	ords of professional achievements	
	29.	Professional achievements relevant for the directorship.	
IV.	Proceedings, if any, against the proposed director		
	30.	a. As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof.	
		 If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof. 	
	31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.	
	32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
	33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
	34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
	35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
	Proc 30. 31. 32. 33.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution. Professional achievements Professional achievements relevant for the directorship. eedings, if any, against the proposed director a. As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof. b. If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations. Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction. If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof. If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof. If adjudicated insolvent or has suspended payment or	

	36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.
37. a.		a. If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.
		b. If convicted by any Court of law, details thereof?
	38.	If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.
	39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation / vigilance / matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.
	40.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.
	41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court)
V.	Gene	eral Information
	42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.
	43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.
VI.		In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.

UNDERTAKING

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.

	appointment which are relevant to the information provided above.			
	I also undertake to execute a 'Deed of Covenant' as required to be executed with the Bank.			
Place : Date :		Signature of Candidate		
	 Enclosures: Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate. 			
	Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) / Board of having satisfied itself that the above information is true and complete.			
	Date:			
	Place:	Signature of the Chair of the NRC / Board		

GREEN INITIATIVE IN CORPORATE GOVERNANCE - GO PAPERLESS!!!

Dear Shareholder,

The Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('Ministry'), has recently taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In terms of the recent circulars bearing no. 17/2011, dated 21.04.2011 and 18/2011 dated, 29.04.2011, whereby companies can now send various notices/ documents (e.g. Notice of AGM/EGM, Annual Reports etc.) to their shareholders through electronic mode at the registered e-mail addresses of the shareholders. It is a welcome move for the Bank, Shareholders and Society at large as it will facilitate faster communication and reduce paper consumption to a great extent and allow shareholders to contribute towards the greener environment.

Advantages of Registering for E-Communication:

- · Receive communication promptly;
- · Reduce paper consumption and save trees;
- Avoid loss of document in postal transit;
- Save costs on paper and postage.

This is also a golden opportunity for every Shareholder of Bank of Maharashtra (the Bank) to contribute to this green initiative.

Below are the requirements for availing this facility:

For shareholders having shares in physical mode:

Please get your e-mail ID registered with the Bank/ RTA to receive communication(s) through electronic mode in future, by filing up the Email ID Registration form given in EGM Notice and send it back to the Registrar & Transfer Agent duly filled in and signed.

For shareholders having shares in dematerialized mode:

Please update your email ID with your Depository Participant(s) or Bank.

Kindly note that, if you still wish to get a hard copy/ physical copy of all the communication and documents, the Bank will provide the same at no extra cost to you.

You can also download the Email ID Registration form from our website https://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meeting-Updates.asp

Looking forward to your active participation in this green initiative.

Thanking you.

Yours sincerely, For Bank of Maharashtra

Sd/(Nehal Rawat)
Company Secretary



Email ID Registration form

To, MCS Share Transfer Agent Limited (RTA) Unit: Bank of Maharashtra Address: 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave, Kherani Road , Sakinaka Andheri (E) , Mumbai - 400072 Phone: 022-28516021-22 E-mail: helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com Website: www.mcsregistrars.com Dear Sir/ Madam,

Date:

Place:

Sub: Registration of Email ID

I agree to receive all future shareholders communication like Notice, Explanatory Statement/ Annual Report/ Documents etc. from the Bank in electronic mode. Please register my e-mail id in your records for sending all the notices / documents etc. through e-mail.

First / Sole Shareholder's name:				
Registered Folio No/ DP ID & Client ID.:				
Address:				
Pin code:				
Email ID:				
Contact Nos.:				
Notes: 1) Shareholders are requested to keep Bank informed as and when there are any changes in the emai address. Unless the e-mail Id given is changed by you, by sending another communication in writing, the Bank wil continue to send the Notice, Explanatory Statement/ Annual Report/ documents etc. to you on the above mentioned e-mail ID. 2) If shares are held in electronic mode, kindly register your e-mail ID with your DP.				
I hereby declare that the particulars given above are correct and complete.				

(Signature of Shareholder)



एक परिवार एक बैंक